डा. जितेन्द्र सिंह: उपसभापति महोदय, आदरणीय सदस्य की चिंता समझ में आती है। जैसा मैंने कहा कि vacancies का creation एक ongoing process है। उसी प्रकार से vacancies को भरने की प्रकिया में और अधिक पारदर्शिता लाना, उसमें और ज्यादा गति लाना भी ongoing process है। पिछले प्रश्न के उत्तर में मैं एक-दो ऐसे कदम गिनवा रहा था, यह उसी दिशा में है। जो चार लाख के लगभग का मैंने उल्लेख किया, वह मात्र तीन agencies के माध्यम से हुआ है, अगर हम 20 की 20 agencies देख लें तो उसकी संख्या बढ़ जाती है, लेकिन दिन-प्रति-दिन, जैसे मैंने आरम्भ में ही vacancy strength के बारे में गिनवाया था, उसको दोहराने की आवश्यकता नही है क्योंकि पहले प्रश्न के उत्तर में मैं उसके बारे में कह चुका हूं। जब यह सरकार आयी तो यदि वह 16.21 प्रतिशत था तो घटते-घटते आज वह 11.30 प्रतिशत है, जो vacancy percentage against the strength of the vacancy है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह ongoing process है, आगे चलकर इसकी गति में भी और ज्यादा improvement होगी और साथ ही साथ इसकी objectivity और पारदर्शिता में भी improvement होगी।

Gross Enrolment Ratio

*350. SHRI SANJAY SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of the current Gross Enrolment Ratio (GER);

(b) whether it has changed during the last three years and if so, the details thereof and the reasons therefor; and

(c) the details of the steps taken by Government to ensure an increase in the GER?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Gross Enrolment Ratio (GER) in the country in the years 2016-17 to 2018-19 is as follows:—

Year	Elementary (I-VIII)	Secondary (IX-X)	Higher Secondary (XI-XII)	Higher Education
2016-17	93.55	79.35	55.40	25.2
2017-18	92.98	79.28	56.46	25.8
2018-19	92.19	78.66	56.41	26.3

The figures for 2018-19 are provisional.

The Government has taken following steps to increase GER:—

(i) The Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE) came into effect from 1st April, 2010. The Act makes elementary education a fundamental right of all children in the age group of 6-14 years. The Section 6 of the Act provides that every child of the six to fourteen years shall have the right to free and compulsory education in a neighbourhood school till completion of elementary education. The RTE Act places a compulsion on the appropriate Government to ensure that no child from weaker sections or disadvantaged groups is discriminated against in any manner or prevented from pursuing and completing elementary education.

(ii) Centrally sponsored scheme of Samagra Shiksha has been launched from the year 2018-19, which subsumes the three erstwhile Centrally Sponsored Schemes of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and Teacher Education (TE). Under the scheme, financial assistance is provided to States and UTs for undertaking various activities to increase enrolment including opening/upgradation of new schools upto. senior secondary level, strengthening of existing school infrastructure, setting up and running of Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBV), setting up of residential schools/hostels, free uniforms, free text books and undertaking enrolment and retention drives. Further, special training for age appropriate admission of out of school children and residential as well as non-residential training of older children, seasonal hostels/residential camps, special training centres at worksites, transport/escort facilities are also supported to bring out of school children to the formal schooling system. Also, mid-day meal is provided to students at the elementary level of education.

(iii) Strategic funding and reforms in the State Higher Education sector are being undertaken through the Centrally Sponsored Scheme of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA).

(iv) Moreover, Higher Education Financing Agency (HEFA) has been established under the Companies Act, 2013 to leverage funds from market to finance improvement in infrastructure in top institutions of education.

(v) With the devolution of more funds to the States as recommended by the Fourteenth Finance Commission, States are in position to prioritize allocation of funds to education sector.

(vi) Also in order to increase enrolment in higher educational institutions, various measures have been taken by the Government which includes issuing of new UGC regulation for Open and Distance Learning that allows entry of reputed institutions to offer education on the distance mode, Using of ICT technology-SWAYAM portal to reach out of people and allow them to secure good quality education and Opening of more centrally funded institutions.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से मेरे प्रश्नों का जवाब दिया है। किस तरीके से enrolment बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है, उसका भी इन्होंने जिक्र किया है, लेकिन जो उच्चतर शिक्षा की बात है, वह सबके लिए बहुत चिंताजनक स्थिति है। खास तौर से दिल्ली में 92, 93 और 94 परसेंट नम्बर पाने के बाद भी बच्चों का दाखिला नही हो पा रहा है। सागर में एक बच्ची का मामला सामने आया था, उसके 84 परसेंट नम्बर आए। उसके पिता पान की दुकान लगाते थे और उसका एडमिशन नही हुआ, तो उसने सल्फास खा कर जान दे दी।

श्री उपसभापति: आप अपना सवाल पूछिए।

श्री संजय सिंह: मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा सवाल है कि क्या अधिक संख्या में डिग्री कॉलेज़ेज की स्थापना करने की सरकार की कोई नीति है, जिससे जो उच्चतर शिक्षा में दाखिले की समस्या आ रही है, उसका समाधान हो सके?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, हम लोग यदि देखें कि उच्च शिक्षा में सार्क देशों में जो हमारा जीईआर है, वह नम्बर एक पर है। स्कूली शिक्षा में भी यदि भूटान और श्रीलंका को देखा जाए, तो हम उनके आस-पास हैं। माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। उच्च शिक्षा में जो नामांकन से संबंधित क्षेत्र है, तो उसमें भी हम बड़ी तेजी से आगे बढ़े हैं। यदि में 2014-15 को देखें और आज 2018-19 को देखें, तो हम देखेंगे कि आज हम 24.3 से 26.3 पर आ गए हैं। उच्चतर शिक्षा को और व्यवस्थित करना है और जो प्रवेश की समस्या है उसे भी ठीक करना है। श्रीमन्, यदि पीछे के पांच वर्षों में देखा जाए, तो इस बीच हमारी Government ने तमाम एनआईटी, आईआईटी, आईआईएम में कई गुना ज्यादा उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी की है। अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। अभी 903 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, जबकि 40 हजार से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं और इस दिशा में नामांकन करने के लिए हम लोगों ने जो दूरस्थ क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, उनको भी विकसित किया है। नामांकन

कैसे बढ़ सकें, जैसा कि सबके लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम में है, उसमें भी प्राइवेट संस्थानों के लिए 25 प्रतिशत तक का प्रावधान किया गया है, जिसमें 44 लाख तक नामांकन हुए हैं। जो माननीय सदस्य की चिंता है कि प्रवेश के लिए बहुत हाई मेरिट जाती है, तो जो संस्थाएं हैं, वे संस्थाएं तो अपने में विशालता लिए हुए हैं और मुझे लगता है कि अगर चीन के बाद देखा जाए, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है।

श्री उपसभापति: संजय सिंह जी, आपका दूसरा सवाल।

श्री संजय सिंह: मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो प्राथमिक शिक्षा में 6-14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो आरटीई का कानून है, जिसमें अनिवार्य रूप से प्राइवेट स्कूलों को भी 25 प्रतिशत तक गरीब बच्चों को शिक्षा देने लिए एडमिशन देना अनिवार्य है, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों का एडमिशन नही करते हैं और पूरे देश में यह समस्या है। क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि उसको ऑनलाइन किया जाए, जिससे यह पता चल सके कि क्या प्राइवेट स्कूलों ने 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का अपने यहां दाखिला किया या नही? क्या सरकार इसकी कोई व्यवस्था कर रही है?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, माननीय सदस्य का यह सवाल बहुत अहम है और यह बात सही है कि पहले जो प्राइवेट स्कूल होते थे, वे प्रवेश नही देते थे और इसीलिए हमने इसका पालन बड़ी कड़ाई से किया। मुझे इस सदन को बताते हुए यह खुशी होती है कि 2014-15 में 16 राज्यों ने 18.10 लाख बच्चों का नामांकन इसके तहत किया। 2015-16 में यह संख्या बढ़कर 44.22 लाख हो गई, 2016-17 में यह संख्या 29.25 लाख थी और 2017-18 में 34.84 लाख पहुंच गई और 2018-19 में हम 41.35 लाख बच्चों का नामांकन करने में सफल हुए हैं।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, India lags behind in Gross Enrolment Ratio (GER) when compared to other countries due to low density of colleges, particularly, in the poorer States. I would like to know as to what steps the Government is taking to increase the density of colleges in the country, particularly, in the poorer States.

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन, अभी मैंने कहा कि ऐसा भी नही है कि हमारा नामांकन कम हुआ है। मैंने कहा था कि सार्क देशों में हम नम्बर एक पर हैं। गरीब जनता और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा में रूसा के तहत हम आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं। हमने यूजीसी के माध्यम से, स्वयं पोर्टल के आधार पर दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचने की कोशिश की है। इसके साथ ही हमने दूरस्थ क्षेत्रों में रूसा के माध्यम से महाविद्यालयों की स्थापना का एक अभियान चलाया हुआ है।

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Sir, the Right to Education Act mandates to provide quality education to the children within their relevant age group. I want to know from the hon. Minister as to what steps the Government is taking for ensuring quality

[Shri K.K. Ragesh]

education to the children and whether ICT or possibilities of information and communications technology is being tried in the classrooms. Are you going to take any steps to replace the blackboards with interactive smartboards?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, सबके लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सभी को शिक्षा मिले, लेकिन उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए जो अध्यापक हैं, हमने उनके लिए अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। श्रीमन्, अभी जितने भी अध्यापक हैं, उनको एक अभियान के तहत राज्यों के SCERT और जो जिला स्तर पर DIET हैं, उनके साथ मिलकर के सभी अध्यापक प्रशिक्षित हों, वर्तमान की शिक्षा से वे अवगत हों, इसके लिए 300 प्रोफेसर्स SCERT से हम लोगों ने लगाए हैं।

SHRI K.J. ALPHONS (Rajasthan): Over the past five years, gross enrolment rate has gone up dramatically. It is about 96 per cent for girls and about 95 per cent for boys. Even the dropout rate is only about 6 per cent at the lower primary and primary levels. Sir, the dropout rate...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI K.J. ALPHONS: Sir, the dropout rate at the secondary level is about 19.7 per cent and 19.6 per cent for boys and girls. Why is there such a dramatic dropout rate at secondary level and what is the Government doing about it?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, यह बात सही है कि माध्यमिक स्तर पर अपेक्षाकृत थोड़ा-सा कम हुआ है, लेकिन ऐसा भी नही है। श्रीमन्, यदि आप देखेंगे कि माध्यमिक स्तर पर जो नामांकन हुए हैं, उन नामांकनों में कमी नही आई है, लेकिन उसमें वृद्धि कैसे हो, यह हमारे लिए चिंता का विषय है, उसमें कमी नही आई है। इसकी वृद्धि के लिए माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं बनी हैं। श्रीमन्, सबके लिए शिक्षा अधिकार और समग्र शिक्षा, जो समग्र शिक्षा कक्षा एक से लेकर बारहवी तक के लिए है, उसमें तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, ताकि हाई स्कूल और इंटर करने के बाद बच्चा उच्चतर शिक्षा में जा सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Q. No. 351.

Progress in digital transactions

*351. DR. L. HANUMANTHAIAH: Will the Minister of ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) the details of the progress made in the number of digital payment transactions from 2016 to till date;